पार्बती पावर स्टेशन चरण-III, हिमाचल प्रदेश की पर्यावरण मंजूरी पत्र में निर्धारित शर्तों का अनुपालन संबंधी छमाही प्रगति रिपोर्ट

(अक्टूबर 2024 से मार्च 2025)

1	परियोजना का नाम	पार्बती-III पावर स्टेशन (520 मेगावाट)
2	परियोजना का प्रकार	जलविद्युत् परियोजना
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	 सं. जे-12011/7/2004-आईए-आई, दिनांक 16.4.2005 सं. एफ. सं.8-31/94 एफसी (भाग), दिनांक 13.06.2005
4	स्थान क) जिला ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	 कुल्लु हिमाचल प्रदेश 31^0 20′ 25′′ से 32^0 25′ 0′′ 0 उ० 76^0 56′ 30′′ से 77^0 52′ 22′′ पू0
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	समूह महाप्रबंधक (प्रभारी), पार्बती –III पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड, ग्राम बिहाली,पी.ओ-लारजी, जिला-कुल्लु, (हिमाचल प्रदेश)-175122 टेलीफोन नं: 01903-235101 फैक्स नं.: 01903-235102 कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण व विविधता प्रबंधन विभाग), एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 टेलीफोन नं. 0129-2250111
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	अनुलग्नक-I के अनुसार
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र) ख) अन्य	भूमि की कुल आवश्यकता : 137.2223 हैक्टेयर (क)i) वन भूमि : 12.9389 हैक्टेयर ii) गैर-वन भूमि : 2.6684 हैक्टेयर (ख)i) वन भूमि : 78.3034 हैक्टेयर ii) गैर-वन भूमि : 43.3116 हैक्टेयर
8	परियोजना प्रभावित आबादी का विवरण जिन्होने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित विवरण क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी ख) अन्य	परियोजना से प्रभावित कुल परिवार : 406 क) अनु.जा./अनु.ज.ज. – 71 ख) अन्य – 335
9	वित्तीय ब्यौरा: क) परियोजना की लागत, जैसा कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का	 क) 2304.55 करोड़ रुपये (190.51 करोड़ रुपये के आईडीसी सहित), मई, 2005 मूल्य स्तर पर

	वर्ष ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	(ख) 2539.75 करोड़ रुपये (अनुमोदित आर. सी.ई) (ग) 68.09 करोड़ रुपये (ब्यौरा संलग्नक-I के रूप में संलग्न) और एन.पी.वी के मद में 05.52 करोड़ रुपये (घ) 101.86 करोड़ रुपये (इसमें वन भूमि के एन.पी.वी के मद में 05.52 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं)
10	वन-भूमि की आवश्यकताएं क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति	91.2423 हैक्टेयर वन भूमि की मंजूरी पर्यावरण और वन मंत्रालय के पत्र सं. 8-31/94-सी(भाग), दिनांक 13.06.2005 द्वारा दी गई । हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग ने अपवर्तित वन भूमि से वृक्षों की कटाई की प्रक्रिया पूरी कर दी है।
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और/अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा आयोजना की गई)	नवम्बर, 2005 (वास्तविक) 31 मार्च 2014 (वास्तविक)
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है	लागू नहीं, परियोजना का निर्माण 2014 में पूर्ण हो चुका है ।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा (क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	पर्यावरण मानीटरिंग समिति की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 26.09.2023 को सम्पन्न हुई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहारादून के प्रतिनिधि डॉ. ए. के. दास, सहायक निदेशक द्वारा दिनांक 26.09.2023 को नगवाई में आयोजित मानीटरिंग समिति की बैठक में हिस्सा लिया गया।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न।

अनुलग्नक-I

पर्यावरण प्रबंधन योजना को लागू करने हेतु वजट का आवंटन एवं खर्च का विवरण
(मार्च 2025 तक)

क्रम सं.	योजना	प्रावधान (लाख रुपये में) हिमाचल सरकार के पत्र संख्या 26.12.2005 के अनुसार	किया गया खर्च (लाख रुपये में)
1	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	2529.51	2529.51
2	क्षतिपूरक वनीकरण	83.11	172.43
3	मत्स्य विकास और प्रबंधन योजना	130.00	130.00
4	हरित पट्टी योजना	130.00	20.88
5	लैंडस्कैपिंग और पुनरुद्धार योजना	175.00	61.91
6	मलबा निपटान योजना	513.15	610.93
7	निशुल्क ईंधन का प्रावधान#	50.00	50.00
8	जलाशय रिम उपचार योजना	115.00	429.50
9	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	75.00	94.67
10	आपदा प्रबंधन योजना	300.00	240.80
11	स्वास्थ्य प्रबंधन योजना	590.00	511.41
12	ग्रामीण सड़क व सामुदायिक विकास योजनाएं	1800.00	4577.00
13	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	238.00	651.35
14	पर्यावरण निगरानी योजना	80.00	105.63
	कुल (रूपए लाख में)	**6808.77**	**10186.02**

- अनुबंध के अनुसार ठेकेदारों के दायरे में।

<u>**अनुलग्नक-II**</u>

पर्यावरण स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति

<table>
<tr><th>विशिष्ट शर्तें (क्र.सं. 3 भाग- अ)</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>**(i)** जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, उसे पांच साल में पूरा किया जाना चाहिए।</td><td>हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्यान्वयन हेतु फंड की माँग के अनुसार परियोजना द्वारा रु 2529.51 लाख रुपये की धनराशि किस्तों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार जारी की जा चुकी है:

<table><tr><th>वर्ष</th><th>जारी की गयी रकम (रुपये लाख में)</th></tr><tr><td>2006 (पहली व दूसरी किश्त)</td><td>651.427</td></tr><tr><td>2009 (तीसरी किश्त)</td><td>1837.5497</td></tr><tr><td>2006 से 2009 : वन विभाग के लिए वाहन व उपकरण</td><td>22.6741</td></tr><tr><td>2011: वाहन व उपकरण की बकाया रकम</td><td>17.8542</td></tr><tr><td>**कुल राशि**</td><td>**2529.505**</td></tr></table>
जलग्रहण क्षेत्र उपचार का कार्य वित्तीय वर्ष 2010-11 में सेराज वन प्रभाग एवं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंतर्गत शुरू हुआ। वन विभाग द्वारा अबतक सीएटी योजना के तहत 1116 हेक्टेयर भूमि पर वनरोपण किया है। वन विभाग से कुल ₹1669.93 लाख (मार्च 2025 तक) का प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य प्रगति पर है।</td></tr>
<tr><td>(ii) मत्स्य विकास योजना का कार्यान्वयन राज्य मत्स्य विभाग के परामर्श से किया जाना चाहिए और इस पत्र के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर एमओईएफ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</td><td>राज्य मत्स्य विभाग द्वारा तैयार मत्स्य विकास योजना का प्रेषण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिनांक 15.06.2005 को किया गया। इस योजना को हिमाचल प्रदेश राज्य मत्स्य विभाग द्वारा कार्यान्वित करने के लिए परियोजना द्वारा जनवरी-मार्च, 2006 के दौरान राज्य मत्स्य विभाग को कुल ₹130 लाख का भुगतान किया गया था।

राज्य के मत्स्य विभाग से दिसंबर 2012 में प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार पार्वती-III परियोजना से प्राप्त ₹130 लाख की राशि का कुल उपयोग कुल्लू जिले के हमनी में स्थित 'ट्राउट मत्स्य सीड फार्म' के आंशिक निधिकरण/विकास में कर लिया गया है। फिश फार्म क्रियाशील है और फार्म की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 8 टन ट्राउट है। इसके अलावा मत्स्य विभाग द्वारा दिनांक 10.04.2019 को पार्वती-III के जलाशय के अप-स्ट्रीम में 12000 तथा 08.04.2021 को 15600 ब्राउन ट्राउट का सीड डाला गया। यह योजना पूर्ण हो चुकी है।</td></tr>
<tr><td>(iii)इस पत्र के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर विस्तृत आर व आर योजना तैयार की जानी चाहिए और एमओईएफ को प्रस्तुत की जानी चाहिए।</td><td>परियोजना का पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना पर्यावरण व वन मंत्रालय को दिनांक 12.05.2005 को एनएचपीसी द्वारा जमा किया गया। उसके बाद, हिमाचल सरकार द्वारा परियोजना का पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना वर्ष 2006 में जारी किया गया।</td></tr>
<tr><td>(iv)जलग्रहण क्षेत्र और विशेष रूप से डूब क्षेत्र में प्रभावित औषधीय पौधे के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार कर इस पत्र के जारी होने की</td><td>प्रबंधन योजना, जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान द्वारा तैयार कराकर पर्यावरण व वन मंत्रालय को दिनांक 24.08.2005 को जमा कर दिया गया है। यह योजना</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>तारीख से तीन महीने के भीतर एम.ओ.ई.एफ को जमा किया जाना चाहिए।</td><td>पूर्ण हो चुकी है।</td></tr>
<tr><td>(v)वर्षा की कमी वाले मौसम(लीन सीजन) में जल का न्यूनतम प्रवाह 1.15 क्यूमेक्स बांध से नीचे की तरफ छोड़ा जाना चाहिए।</td><td>वर्षा की कमी वाले मौसम के दौरान आवश्यक पर्यावरणीय प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए बांध निकाय में प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार ई-प्रवाह की ऑनलाइन निगरानी के लिए एक ई-फ्लो मापने वाला उपकरण भी स्थापित किया गया है।</td></tr>
<tr><td><u>3) भाग- ब: सामान्य शर्तें</u></td><td></td></tr>
<tr><td>(i)निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए पर्याप्त मुफ्त ईंधन की व्यवस्था परियोजना लागत से की जानी चाहिए ताकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके।</td><td rowspan="2">(i) एवं (ii)
परियोजना का निर्माण का कार्य 31 मार्च 2014 को पूरा हो चुका हो चुका है। यह शर्त अब प्रासंगिक नहीं है।</td></tr>
<tr><td>(ii) ईंधन (किरोसिन तेल / लकड़ी /एलपीजी(प्रदान करने के लिए साइट पर ईंधन डिपो खोला जा सकता है। मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएँ और मनोरंजन सुविधाएँ भी प्रदान की जानी चाहिए।</td></tr>
<tr><td>(iii) निर्माण कार्यों के लिए लगाए जाने वाले सभी मजदूरों को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए और उन्हें वर्क परमिट जारी करने से पहले पर्याप्त उपचार किया जाना चाहिए।</td><td>परियोजना निर्माण का कार्य 31 मार्च 2014 मे समाप्त हो गया है । यह शर्त अब प्रासंगिक नहीं है।

फिर भी, परियोजना निर्माण के बाद भी परियोजना की डिस्पेंसरियों में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ स्थानीय ग्रामीणों और श्रमिकों को भी दिए जा रहे हैं।

छमाही (अक्टूबर 2024 से मार्च 2025) के दौरान परियोजना की डिस्पेंसरियों में उपचार किए गए रोगियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.</th><th rowspan="2">महीना-वर्ष</th><th colspan="3">उपचार किए गए रोगियों की संख्या</th></tr>
<tr><th>एनएचपीसी के कर्मचारी</th><th>स्थानीय लोग</th><th>कांट्रैक्ट स्टाफ</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अक्टूबर 2024</td><td>39</td><td>41</td><td>42</td></tr>
<tr><td>2</td><td>नवम्बर 2024</td><td>49</td><td>60</td><td>52</td></tr>
<tr><td>3</td><td>दिसंबर 2024</td><td>40</td><td>74</td><td>40</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जनवरी 2025</td><td>30</td><td>72</td><td>57</td></tr>
<tr><td>5</td><td>फरवरी 2025</td><td>16</td><td>35</td><td>20</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मार्च 2025</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td></tr>
<tr><td></td><td>जोड़</td><td>195</td><td>306</td><td>238</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल रोगी उपचारित रोगी</td><td colspan="3">739</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(iv) निर्माण क्षेत्र एवं डम्पिंग साइटों का पुनरुद्धार समतलीकरण, गढ़ढों को भरना तथा भूसुदर्शनीकरण आदि के माध्यम से सुनिश्चित की जाए तथा उस क्षेत्र में सही ढंग से पेड़ लगाकर वनीकरण की जानी चाहिए।</td><td>कुल 08 डंपिंग साइट्स में से 07 साइट्स (सं 1,2,4,5,6-i,ii &7) पर पुनरुद्धार कार्य की गई है । इन डंपिंग स्थलों पर पौधारोपण का कार्य राज्य वन विभाग, बंजार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए परियोजना ने वन विभाग, बंजार को ₹46.54 लाख का भुगतान दिनांक 03.03.2017 के पत्र के माध्यम से जारी किया है। इसमें से वन विभाग द्वारा डीएस-4</td></tr>
</table>

	और डीएस-7 पर वृक्षारोपण के लिए 45.36 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, डंपिंग साइट्स सं-2 के पुनरुद्धार कार्य हेतु वन विभाग को मार्च 2019 में ₹43.44 (जी एस टी सहित) लाख जमा किया गया है। शेष बचे एक डंपिंग सं-3 से मलबा उठाने की अनुमति राज्य खनन विभाग द्वारा स्थानीय स्टोन क्रशर्स को दिया गया है। वन-भूमि पर स्थित डम्पिंग साइट्स सं 4,5,6 (i) & (ii) और 7 पर पुनरुद्धार कार्य पूरा होने के बाद इसे राज्य वन विभाग को दिनांक 26.06.2018 को लौटा दिया गया, जो परियोजना की वन स्वीकृति पत्र दिनांक 13.06.2005 के शर्त सं-xiv के अनुपालन में था ।
(v) उपर्युक्त सुरक्षित सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।	परियोजना के कुल वजट में हिमाचल राज्य सरकार के पत्र दिनांक 26.12.2005 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन योजना हेतु उचित प्रावधान किया गया है ।
(vi)आर एंड आर के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें एक महिला लाभार्थी को परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने चाहिए।	पार्वती परियोजना के विस्थापितों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 17.10.2003 के माध्यम से एक 'जिला स्तरीय पुनर्वास एवं सलाहकार समिति' गठित की गई थी, जिसके कार्यकाल की अविधि आर एंड आर कार्यों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु अगले दो साल के लिए वर्ष जून 2006 में बढ़ा दी गई थी ।
(vii)सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्यजीव, मृदा संरक्षण, गैर सरकारी संगठन आदि के विभिन्न विषयों के प्रतिनिधियों के साथ एक बहु-विषयक समिति का गठन किया जाना चाहिए।	पार्वती-III जल-विद्युत् परियोजना में पर्यावरण संबंधी रक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु मार्च, 2006 में एक बहुविधा मानीटरिंग समिति गठित की गई थी। निगरानी समिति के सदस्यों की 11वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई।
(viii)छह मासिक निगरानी रिपोर्ट मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ को समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए।	पर्यावरणीय पहलुओं से संबन्धित छमाही प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रिय कार्यालय-देहारादून और एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला को नियमित रूप से भेजी जा रही है। पिछला रिपोर्ट दिनांक 28.11.2024 को एमओईएफ&सीसी के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई थी।
4.क्षेत्रीय कार्यालय एमओईएफ, चंडीगढ़ के अधिकारी जो पर्यावरण सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे, उनके निरीक्षण के दौरान परियोजना अधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग, सुविधाएं और दस्तावेज / डेटा दिए जाने चाहिए।	पावर स्टेशन द्वारा पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रिय कार्यालय-देहारादून और एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के अधिकारियों को परियोजना स्थलों के निरीक्षण के दौरान पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
5) पर्यावरण सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह से एनएचपीसी और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ है।	पर्यावरण स्वीकृति पत्र में वर्णित सुरक्षा उपायों का पावर स्टेशन द्वारा सुचारु रूप से अनुपालन किया जा रहा है ।
6) परियोजना के दायरे में बदलाव के मामले में, परियोजना को एक नए मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।	लागू नहीं है, क्योंकि परियोजना के दायरे में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसे पहले ही 2014 में चालू किया जा चुका है।

7) यदि आवश्यक होगा तो मंत्रालय बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण स्वीकृति को रद्द करने का कार्रवाई करना भी शामिल है।	मंत्रालय द्वारा सुझाये गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का अनुपालन पावर स्टेशन द्वारा किया जाएगा ।
8)यह मंजूरी पत्र निर्माण कार्य शुरू करने के लिए इस पत्र के जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए वैध है।	परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2014 में पूरा हो चुका है ।
9) पर्यावरण स्वीकृति पत्र की एक प्रति संबंधित पंचायत जिससे इस प्रस्ताव के संबंध में सुझाव प्राप्त हुआ हो, को चिह्नित किया जाएगा।	अनुपालन किया गया ।
10) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / समिति को क्षेत्रीय कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र और कलेक्टर कार्यालय में स्वीकृति-पत्र की एक प्रति जिलाधिकारी/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों के लिए प्रदर्शित करनी चाहिए।	अनुपालन किया गया ।
11)परियोजना के प्रस्तावक को परियोजना के आसपास के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना चाहिए, जिनमें से एक यह है कि वह संबंधित स्थानीय भाषा की स्थानीय भाषा में यह बताए कि परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है और इसकी प्रतियां राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / समिति के पास उपलब्ध है तथा इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय की वेबसाइट http: // www.envfor.nic.in पर पर भी देखा जा सकता है।	अनुपालन किया गया ।

****

<u>नोट: यह रिपोर्ट एमओईफ व सीसी को भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में कृपया अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत इस रिपोर्ट को देखें ।</u>